Gmail

Sanket Sahu <snktsh@gmail.com>

सौरभ शर्मा की फर्जीवाड़ा कर अनुकम्पा नियुक्तिमें अयोग्यता होते हुए भी तथ्यों को जानबूझकर छुपाने के मामलें में तत्कालीन भ्रष्टाचारीमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) ग्वालियर (म.प्र.) आदि अन्यदोषियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 (बी)एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(डी), 13(2) के तहत अतिशीघ्र एफ.आई.आर.दर्ज करनें बाबत।

1 message

Sanket Sahu <snktsh@gmail.com>
To: spelokgwa@mp.gov.in

Fri, Jan 17, 2025 at 8:11 PM

:: <u>अंतिम स्मरण पत्र क्रमांक 1</u> ::

प्रति, **(अत्यंत - आवश्यक)**

माननीय श्री राजेश मिश्रा जी,
पुलिस अधीक्षक महोदय, विशेष पुलिस स्थापना,
लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर संभाग (मध्यप्रदेश राज्य)

विषय : सौरभ शर्मा की फर्जीवाड़ा कर अनुकम्पा नियुक्ति में अयोग्यता होते हुए भी तथ्यों को जानबूझकर छुपाने के मामलें में तत्कालीन भ्रष्टाचारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) ग्वालियर (म.प्र.) आदि अन्य दोषियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 (बी) एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(डी), 13(2) के तहत अतिशीघ्र एफ.आई.आर. दर्ज करनें बाबत।

सन्दर्भ :(1) प्रार्थी के द्वारा पूर्व में की गई समक्ष में शिकायत दिनांक 27.12.2024
(2) प्रार्थी के द्वारा पूर्व में की गई ई - मेल से शिकायत दिनांक 10 जनवरी 2025
(3) प्रार्थी के द्वारा पूर्व में की गई ई - मेल से शिकायत दिनांक 16 जनवरी 2025

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि प्रार्थी का आवेदन पत्र निम्न आधार पर प्रस्तुत हैं :-

1. यह कि, श्रीमान जी को पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा आदि के विरुद्ध संदर्भित शिकायत दिनांक 27 दिसम्बर 2024, 10 जनवरी 2025, 16 जनवरी 2025 को की गई थी उक्त समस्त शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही की जावें।

2. यह कि, सौरभ शर्मा नें अनुकम्पा नियुक्ति हेतु दिसम्बर 2015 में अपनें हाथों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर हस्ताक्षर किये थे जिसकें अनुकम्पा नियुक्ति के फॉर्म की प्रति संलग्न हैं जिसमें उसने अपने पिताजी का पूरा नाम राकेश कुमार शर्मा लिखा हैं, पिताजी की मृत्यु दिनांक : 20.11.2015, पिताजी के कार्यालय का नाम : डी.आर.पी. लाईन चिकित्सालय ग्वालियर लिखा हैं, सौरभ शर्मा कें द्वारा अपना पूरा नाम : सौरभ शर्मा और मृतक से सम्बन्ध पुत्र का लेख किया हैं साथ ही स्थाई व वर्तमान दोनों पता : 47 विनय नगर

सेक्टर - 2 ग्वालियर लिखा हैं, इसने अपनी जन्मतिथि : 13.02.1982, जाति : सामान्य, शैक्षणिक अर्हता के विवरण में बी.एस.सी.(बायो), पी.जी.डी.सी.ए. लेख किया हैं।

3. यह कि, सौरभ शर्मा नें अपनें अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन फॉर्म में तथ्यों को जानबूझकर छिपाया गया हैं जिससें वह फर्जीवाड़ा कर अयोग्य होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन को धोखाधड़ी कर नियुक्ति प्राप्त कर सकें उक्त अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित फॉर्म में परिवार के सदस्यों की सम्पूर्ण जानकारी दी जानी थी जो कि जानबूझकर नहीं दी गयी परिवार के सदस्यों में सिर्फ उमा शर्मा आयु 57 (पत्नी), सौरभ शर्मा आयु 33 (पुत्र) की जानकारी दी गई हैं लेकिन सौरभ शर्मा नें अपनें बड़े भाई सचिन शर्मा की जानकारी अनुकम्पा नियुक्ति हेतु भरे गए फॉर्म में नहीं दी हैं जिससें पूरा मामला संदेह के घेरे में आ गया हैं। सचिन शर्मा दिनांक 04.09.2013 को शासकीय सेवा में आ चूका था और छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में वित्त विभाग के कार्यालय में सहायक संचालक के पद पर कार्यालय संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन (ऑडिट सेल) रायपुर में कार्यरत हैं। यदि यह महत्वपूर्ण जानकारी सौरभ शर्मा अनुकम्पा नियुक्ति के फॉर्म में भर देता तो उसकी अनुकम्पा नियुक्ति नहीं लग पाती लेकिन सौरभ शर्मा ने परिवार के सदस्यों में सचिन शर्मा का नाम छुपा लिया इस वजह से यह मामला तथ्यों को छुपाकर अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त करनें का मामला बन गया हैं अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सौरभ शर्मा की माँ श्रीमती उमा शर्मा पत्नी स्व. श्री राकेश कुमार शर्मा ने अपनें हस्ताक्षर कर सहमति भी दी थी। जिसकें कारण वह भी बराबरी की दोषी हैं।

4. यह कि, सौरभ शर्मा नें बिलकुल झूठी कसम खाई हैं क्योंकि उक्त अनुकम्पा नियुक्ति हेतु भरे गए निर्धारित प्रारूप फॉर्म में घोषणा पत्र भी भरा गया था जिसमें लिखा गया था कि ***" मै एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी नियुक्ति के पूर्व या बाद में असत्य / गलत पाई जाती है अथवा नियुक्ति के पश्चात् अपात्रता पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता / जानती हूँ कि मेरी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी और इस संबंध में प्रवधानित विधि एवं नियमों के अधीन मेरे द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए मै उत्तरदायी रहूंगा / रहूंगी । "*** । उक्त घोषणा पत्र को पढ़ने मात्र से ही स्पष्ट हो रहा हैं कि सौरभ शर्मा नें झूठी कसम खाई हैं और झूठा घोषणा पत्र दिया गया हैं जानकारी छिपाई हैं उस पर हस्ताक्षर भी किये गए हैं जिसकें लिए वह पूर्ण रूप से दोषी हैं।

5. यह कि, सौरभ शर्मा की फर्जी तरीके से अनुकम्पा नियुक्ति के मामलें में तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर (म.प्र.) भी शासकीय लोकसेवक पद पर रहते हुए किसी अयोग्य व्यक्ति सौरभ शर्मा को अवैध लाभ पहुंचानें के मामलें में अपनें पद के दुरूपयोग का व भ्रष्टाचार एवं आपराधिक षड़यंत्र का बराबरी का दोषी हैं क्योंकि जब अनुकम्पा हेतु नियुक्ति का आवेदन फॉर्म भरा जाता हैं तो कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी के तौर पर प्रमाणीकरण जाता हैं जिसमें 3 शर्ते लिखी रहती हैं ***" (1) आवेदक / आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए संपूर्ण तथ्यों / विवरण की सूक्ष्मता से जाँच कर ली गयी हैं ।, (2)***

आवेदक / आवेदिका ने आश्रित परिवार तथा उनके रोजगार का जो विवरण दिया है उसका प्रमाणीकरण कर लिया गया हैं I, (3) मैं पूर्ण जांचोपरांत इस बात से संतुष्ट हूँ कि आवेदक / आवेदिका को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता आती हैं I आवेदक को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाना उचित होगा I " I कार्यालय प्रमुख के प्रमाणीकरण के आधार वह स्पष्ट तौर पर दोषी हैं क्योंकि कार्यालय प्रमुख के प्रमाणीकरण के मामलें में तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर (म.प्र.) की सील व हस्ताक्षर किये हुए हैं I सौरभ शर्मा के नियुक्ति के आवेदन फॉर्म के 3 पृष्ठ की प्रति संलग्न हैं I

6. यह कि, भौतिक तथ्यों को छिपाना अनुकम्पा नियुक्ति को गलत ठहराता हैं व मौलिक उद्देश्यों का उल्लंघन करता हैं इस संबंध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तरप्रदेश राज्य नें एक अन्य प्रकरण स्पेशल अपील क्रमांक 367 वर्ष 2024 उनमान ***शिव दत्त शर्मा विरुद्ध स्टेट ऑफ़ यू.पी. एवं अन्य*** में माननीय श्री जस्टिस विवेक कुमार बिरला एवं माननीय श्री योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव जी में दिनांक 16 जनवरी 2025 को गंभीर टिप्पणी करते हुए आदेश पारित किया था जिसमें लिखा था कि ***" अनुकम्पा के आधार पर की गई नियुक्तियाँ सामान्य नियम के अपवाद हैं और उन्हें प्रक्रियागत निष्पक्षता का कड़ाई से पालन करना चाहिए I किसी भी तरह के महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना ऐसी नियुक्तियों की वैद्यता को नष्ट कर देता हैं I "*** I माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तरप्रदेश के आदेश दिनांक 16 जनवरी 2025 की प्रति संलग्न हैं I

7. यह कि, जब पद धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया हो तो अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों को बरकरार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती मध्यप्रदेश राज्य के परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा ने मध्यप्रदेश के परिवहन विभाग में आरक्षक के पद को धोखाधड़ी से अपना पद प्राप्त किया हैं इसलिए उन्हें संविधान के तहत सुरक्षा के उद्देश्य से पद धारणा करने वाला नहीं माना जाएगा I इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के एक अन्य प्रकरण सिविल अपील क्रमांक 4434 - 4437 वर्ष 2014 उनमान ***यूनियन ऑफ़ इंडिया एवं अन्य विरुद्ध प्रोह्लाद गुहा एवं अन्य*** में माननीय श्री जस्टिस जे.के.महेश्वरी एवं माननीय श्री संजय करोल जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01 अगस्त 2024 अवलोकनीय हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के उक्त आदेश दिनांक 01 अगस्त 2024 की प्रति संलग्न हैं I

8. यह कि, पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा, स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) ग्वालियर सहित अन्य सभी दोषियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जावें जिससें कानून का पालन हो सकें I

अत: श्रीमानजी से निवेदन हैं कि सौरभ शर्मा की फर्जीवाड़ा कर अनुकम्पा नियुक्ति में अयोग्यता होते हुए भी तथ्यों को जानबूझकर छुपाने के मामलें में तत्कालीन भ्रष्टाचारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) ग्वालियर (म.प्र.) आदि अन्य दोषियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468,

471, 120 (बी) एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(डी), 13(2) के तहत अतिशीघ्र एफ.आई.आर. दर्ज करनें की कृपा करें।

<u>संलग्न दस्तावेजों की सूचि</u> :

1. मध्यप्रदेश के परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की नियुक्ति का 3 पेज का फॉर्म की छायाप्रति।

2. माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तरप्रदेश राज्य नें एक अन्य प्रकरण स्पेशल अपील क्रमांक 367 वर्ष 2024 उनमान ***<u>शिव दत्त शर्मा विरुद्ध स्टेट ऑफ़ यू.पी. एवं अन्य</u>*** में माननीय श्री जस्टिस विवेक कुमार बिरला एवं माननीय श्री योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव में दिनांक 16 जनवरी 2025 की प्रति।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के एक अन्य प्रकरण सिविल अपील क्रमांक 4434 - 4437 वर्ष 2014 उनमान ***<u>यूनियन ऑफ़ इंडिया एवं अन्य विरुद्ध प्रोह्लाद गुहा एवं अन्य</u>*** में माननीय श्री जस्टिस जे.के.महेश्वरी एवं माननीय श्री संजय करोल जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.08.2024 की प्रति।

स्थान : ग्वालियर **प्रार्थी के हस्ताक्षर**

दिनांक : 17.01.2025

संकेत साहू (एल.एल.बी.)

सचिव (आर.टी.आई. विंग) आम आदमी पार्टी ग्वालियर

निवासी : 26/903, घास मण्डी मुरार मोहन भवन के सामनें मुरार जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश राज्य) पिनकोड 474006, **मोबाईल नंबर :** 9425707430, **ईमेल आई.डी.:** snktsh@gmail.com

---

5 attachments

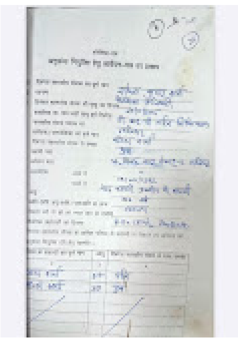

WhatsApp Image 2025-01-17 at 4.45.20 PM.jpeg
135K

WhatsApp Image 2025-01-17 at 4.45.21 PM.jpeg
141K

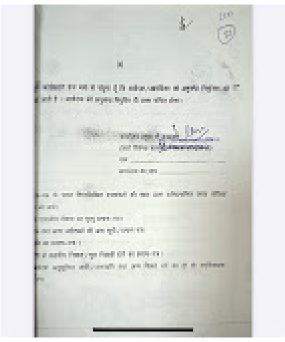

WhatsApp Image 2025-01-17 at 4.45.21 PM (1).jpeg
126K

SPLAA_367_2024.pdf
146K

sci_pdf_1737121341690.pdf
274K